जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर 74/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 74/2016 अनवानी श्री मनोहरलाल पुत्र श्री रामरख जाति गायणा बिश्नोई निवासी 4 सीसी चानणा धाम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–बिश्नोई सभा ग्राम चानना धाम जरिये अध्यक्ष 2– उपजिला मजिस्ट्रेट पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2016

प्रार्थी श्री मनोहरलाल के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी बिश्नोई सभा, ग्राम चाननाधाम के अध्यक्ष वेदप्रकाश की तरफ से अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 06/2015 अनवानी बिश्नोई सभा ग्राम चानणा जरिये अध्यक्ष वेदप्रकाश बनाम मनोहरलाल अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी. के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 06/2015 अनवानी बिश्नोई सभा ग्राम चानणा जरिये अध्यक्ष वेदप्रकाश बनाम मनोहरलाल अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी. के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर